Online

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सागवाड़ा

नाम पीठासीन अधिकारी : श्री गोपाल लाल स्वर्णकार (आर0ए0एस0) एस0डी0ओ0 सागवाडा

प्रकरण सं0 219/15 (राजस्व वाद) दायर दिनांक 30.11.2015

फैसला दिनांक 11.5.18

1. शिवराम पिता गमीराजी पाटीदार
2. हलिया पिता भूरजी पाटीदार
3. गोकल पिता भूरजी पाटीदार
4. रावण पिता ताजेंग पाटीदार
5. हीरजी पिता गमीरा पाटीदार

निवासी नई आबादी पटेलवाडा सागवाड़ा (वादीगण)

बनाम

1 नगरपालिका मण्डल सागवाडा जरिये नगरपालिका मण्डल अध्यक्ष सागवाडा

2 नगरपालिका मण्डल सागवाडा जरिये नगरपालिका अधिशासी अधिकारी नगरपालिका सागवाडा

(प्रतिवादी)

वकील वादीगण: श्री सी.एस. शुक्ला

वकील प्रतिवादी : श्री वी. के. जैन

दावा बाबत स्थाई निशेधाज्ञा जारी करने इस आशय का कि वादीगण के कब्जे एवं स्वामित्व के खेंतों मे गन्दे पानी की नाली का पानी नही डालें न डलावें, अन्तर्गत धारा 188 आर.टी.एक्ट

निर्णय

वाद वादी का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वाद की कॉलम सं. 2 में वर्णित खसरा न.2389 रकबा 0.8 बिस्वा, 2390 रकबा 0.19 बिस्वा, 2392 रकबा 1 बिघा, 2391 रकबा 0.19 बिस्वा 2393 रकबा 1 बिघा 04 बिस्वा के वादीगण खातेदार है। प्रतिवादीगण बिना वादीगण की जानकारी एवं बिना सहमति के नई आबादी पटेलवाडा सागवाडा के समस्त मकानात का गंदें पानी की निकासी वादीगण के उक्त खेतों में करने जा रहें है। पानी निकासी हेतु अन्य वैकलपिक अनुतोष है, एवं अन्य जगह भी पानी की निकासी की जा सकती , फिर भी वादीगण को तंग एवं परेशान करने के आशय से नाली का निर्माण करने जा रहें है। यह है कि प्रतिवादीगण के उक्त आशय से खेत खेती करने के लायक नही रहेंगे मौके पर बदबू फैलेगी , मच्छर होगें और जमीन खराब हो जायेगी। अतः प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि वादीगण के कब्जे एवं स्वामित्व के खेतों मे गंदे पानी की नाली का पानी नही डाले, नही डलावें।

वादीगण ने वाद की पुष्टि मे शपथ पत्र पेश करते हुए वाद के साथ प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र मे जमाबंदी खाता सं. 1453,1449,1436, पासबुक ,दस्तावेज बेचान नामा की प्रतिया प्रस्तुत की है

उपखण्ड अधिकारी
सागवाड़ा

वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को सम्मन जारी किया गया ।

प्रतिवादीगण की और से जवाब प्रस्तुत किया गया जिसके अतिरिक्त कथन मे वादीगण के खेतों में या अन्य किसी भी काश्तकार के खेतों में नाली निर्माण नही करना, नगरपालिका द्वारा रोड़ के साईड मे जो नालिया बनी हुई है उसी को आगे बढाते हुए नाली निर्माण किया जाना, मोहल्ले व लोगों की मांग के अनुसार नाली निर्माण किया जावे एवं जनआवश्यकताओं की पूर्ति हेतु लोगों के हित के लिए नाली निर्माण किया जाना बताया गया है।

प्रतिवादीगण का उक्त जवाब प्रस्तुत प्रस्तुत होने पर वकील पक्षकारान ने मौका निरीक्षण कर मौका रिपोर्ट अनुसार प्रकरण में निर्णय हेतु सहमत होने से तहसीलदार सागवाडा को मौका निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने लिखा गया।

तहसीलदार सागवाडा द्वारा मौका रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर पक्षकारान वकील की बहस सुनी गई। वकील पक्षकारान प्राप्त रिपोर्ट अनुसार निर्णय हेतु सहमत है।

हमने पत्रावली एवं प्राप्त मौका रिपोर्ट का अध्ययन किया। मौका रिपोर्ट के अनुसार वादग्रस्त आराजीयात वादीगण की खातेदारी होकर मौके पर सागवाडा की पुरानी पटेलवाडा बस्ती एवं सागवाडा की पुरानी आबादी क्षेत्र से बरसाती एवं अन्य नालियों का पानी जो कि वर्षो से निर्मित एक अन्य नाले को बनाया जाकर गमेला तालाब के पास पानी छोडा गया हैं। उक्त नाले का पानी पूर्व से ही निर्मित खसरा नम्बरों मे से होकर ही जाता रहा है। एवं तालाब भर जाने पर उक्त खसरा नम्बर में तालाब का पानी रहता है। वर्तमान मे वाद ग्रस्त भूमि पर नगरपालिका के द्वारा कोई नवीन नाला एवं नाली का निर्माण मौके पर नही किया गया है।

वकील पक्षकारान द्वारा बहस में नगरपालिका द्वारा नाली का निर्माण वादीगण के उक्त खेतों में नहीं छोडा जाकर नाली को आगे तक ले जाने पर सहमती व्यक्त की गई है । अतः नगरपालिका सागवाडा को नाली वाद ग्रस्त आराजीयात के पास नहीं छोडने एवं नाली को आगे तक ले जाने हेतु पाबन्द किया जाकर प्रकरण निर्णित किया जाता है । डिकी पर्चा जारी हो ।

निर्णय आज दिनांक 11/5/2018 को खूले न्यायालय में सुनाया गया ।

पत्रावली फैसल शुमार हो । नम्बर से कम हो ।

(गोपाललाल स्वर्णकार)
उपखण्ड अधिकारी
सागवाडा